न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु. कोलायत

पीठासीन अधिकारी सावंरमल रैगर आर.ए.एस

वाद संख्या 11/2024

रामसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपुत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

प्रतिवादी

दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 एवं 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति

1. श्री हनुमानगिरि वकील वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत

निर्णय दिनांक 29.8.2024

वादी द्वारा इस आशय का एक वादपत्र जरिये वकील श्री हनुमानगिरि ने प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी ग्राम बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर का स्थाई निवासी एवं काश्तकारी पेशा व्यक्ति है । वादी के पिता के नाम से उपनिवेशन तहसील गजनेर मु. कोलायत के ग्राम बीठनोक के चक 13 एन बी एम. के मुरबा नं 87/3/2 के किला नं 2 ता 9 11 ता 19 24,25 में 19 बीघा व मुरबा 87/3/5 किला नंबर 11,20,21 मे 3 बीघा व मुरबा नं 87/3/1 में किला नं 16 ता 18 , 22 ता 25 – 7 बीघा व मुरबा नं 87/3/6 किला नंबर 1 ,9,10,11,20 में 5 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा कमाण्डं खातेदारी भूमि है जो रिकॉर्ड में किशोर सिंह पुत्र हरि सिंह जाति राजपुत निवासी बीठनोक के नाम से दर्ज है

..........2

(सांवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

जबकि वादी के पिता का सही नाम केशु सिंह जो राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से किशोर सिंह लिखा गया जो वादी के पिता के समस्त दस्तावेजों में केशु सिंह लिखा गया है व ग्राम चक बीठनोक के खसरा नं 3 व 360 में नाम केशु सिंह पुत्र हीर सिंह लिखा गया है वादी पिता के नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है .

सर्व प्रथम प्रकरण दर्ज किया गया प्रति वादी को जरिये समन से तलब किया गया है पैरोकार राज एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने अपने जवाब में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम किशोर सिंह पुत्र हीर सिंह दर्ज हैं। वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबुत के रूप में पिता का आधार कार्ड कि छाया प्रति व पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की ज़िसमें केशु सिंह लिखा गया है व वादी का पिता फौत हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र में भी नाम केशु सिंह लिखा गया है व वादी के आधार कार्ड में भी पिता का नाम केशु सिंह लिखा गया है व सरंपच ग्राम पंचायत बीठनोक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी केशु सिंह पुत्र हीर सिंह नाम लिखा है व दो पडोसियों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है जिसमें केशु सिह व किशोर सिंह एक ही व्यक्ति होने की तस्दीक की है । विद्ववान अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो , दस्तावेजों , पैरोकार राज के जवाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि वादी के पिता किशोर सिंह के स्थान पर केशु सिंह किया जाना उचित है केशु सिंह नाम की दुरूस्ती की जाती है एवं उपनिवेशन तहसील गजनेर मुख्यालय कोलायत को निर्णय की प्रति भेजकर निदेर्शित किया जाता है कि दुरूस्ती अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम की शुद्धि कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करवाया जावें निर्णय आज दिनांक १९.८.२०२१ को खुले इजलास सुनाया गया पत्रावली नम्बर सुमार से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(सांवरमल रैगर)

आर.ए.एस

सहायक आयुक्त उपनिवेशन

(प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत